

फर्द अहकाम

(नियम 26)



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान - पुरोेश्वरी डेवी भारि बनाम शिवरत्न व अन्य

किस्म मुकदमा :- 212 PTA

प्रकरण सं. :- 153/2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 23/11/25 | <p>पत्रावली पेश हुई कमील प्राणी उपस्थित हैं कमील प्राणी ने साफ्फ से चेहरे पर क्लॉस की प्राणीण पति पिता के नाम से रोली सिंगल के जाला संख्या 170/153 की फुल 9.27 हैं काली दोयम खातेवारी थी दक्ष रिफरि की। उनकी हलु अपंत क थी प्राणीण के नाम पर हुई अब साफ्फ की मर सं 02 में अंतिम थी पर थी में प्राणीण के पतिपिता तथा उनकी हलु के पश्चात प्राणीण का कुल्जा चरखुर चला आ रहा है जैर पार रफ्फा से सुधार कर हकि लोके के साफ्फ बनाया है प्राणीण व अ.प्राणीण का रफ्फा किरता है लेकिन रफ्फा अलग-2 है अ.प्राणी सं. 01 जकरन अ.प्राणी 2 ला 5 से साफ्फ मिलकर प्राणीण के सुधार गये रफ्फा पर जकरन अविज होने पर उलाह है प्राणीण से बेरफेल करने पर उलाह है यदि अपने मरुधर से कामपास हो गये तो हें का पुरा लोके वाला मुसमान होगा अब प्राणीण व अ.प्राणीण के सुधार कर पूर्व में जारी सी.आरि. DA. 20.06.22 को पारफ्फ के नियम तब स्थारि डिमा अंतिम।</p> <p>पत्रावली में कमील प्राणीण की बल्क पर यमन डिमा तथा पत्रावली का अ.ब्लोफ डिमा जैर प्रकृण थी प्राणीण की खातेवारी थी है अ.प्राणीण काफ्फु सुपना उपस्थित बली है, एपसीम अ.प्राणीण हो रही है खातेवारी रफ्फा में दक्ल पंजी कले से रोका जाग आपश्य है। साफ्फ प्राणीण स्वीकार डिमा जान ह्य उचित मय शवे है।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
सुरतगढ़ (राज.)




न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अनवान - परमेश्वरी आदि बनाम शिपशन कोटा

किस्म मुकदमा :- 212 RTA

प्रकरण सं. :- 153/2022

प्रार्थना-प

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुआ |
|------------|--|---|
| 23/01/25 | <p>अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पर प्रार्थना शीकर दिया जाता है। पर प्र के निर्णय तक अपाधी संख्या 1 ता 5 को पारु दिया जाता है कि वे प्रार्थना के खाते परी रक्षक में दखलवाजी न करें तथा यों ही की यथा क्षिति काते रखें। नंबर से प्र हों।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) </p> | |